उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या- 2/ 1874 / 77-2-2014-24(रिट)/ 2013
लखनऊ दिनांक 20 जनवरी, 2014
कार्यालय- आदेश

रिट याचिका संख्या- 7120(एसएस)/ 2013 विजय कमार श्रीवास्तव व 6 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत है-

"....A fter H e a ring le a rned counsel for parties, in the interest of Justice, as an interim measure, it is provided that petitioners are permitted to move fresh representation to O.P. No. 2/ Principal Secretary, Department of Industries, Government of U.P. Lucknow within two weeks from today in respect to their grievances which they have raised in the present writ petition annexing all relevant documents and materials in support of their case and after receiving the same, O.P. No 2 shall consider and dispose of by way of speaking and reasoned order in accordance with law within a further period of four weeks threafter..."

2- उक्त आदेश दिनांक 29-11-2013 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराते हुए याचीगण द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 2013 को प्रमुख सचिव महोदय को सम्बोधित अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन मे याचीगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के कम में वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने तथा पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार अग्रिम लाभ के0 सी0 मिश्रा एवं के0 एन0 चन्दोला के प्रकरण में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। याचीगण के उक्त प्रत्यावेदन पर निदेशक मुद्रण एंव लेखन सामग्री की आख्या प्राप्त की गयी। निदेशक मुद्रण की आख्या दिनांक 31-12-2013 के अनुसार उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम के छटनीशुदा कर्मचारियां द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-332 (एसबी) / 1997 राज्य खनिज विकास निगम संघर्ष समिति बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में निगम कर्मियों को समयबध् रूप से शासन के विभिन्न विभागों / निगमो/ एजेन्सियों में समायोजित करने हेतु मुख्य सचिव स्तर से शासनादेश दिनांक 30-12-1999 निर्गत किया गया था। उक्त शासनादेश के अनक्रम में शासनादेश दिनांक 6 मार्च, 2002 एव दिनांक 8-3-2002 द्वारा खनिज निगम के 43 छटनीशुदा कर्मचारियों को विभिन्न मुदणालयों में समायोजित किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त कर्मियों को समूह- ग के सीधी भर्ती के न्यूनतम पद कनिष्ठ लिपिक, हितकारी संचालक एवं हितकारी सहायक के पद पर

http://shasanadesh.up.nic.in

नियुक्ति की गयी। इनकी नियुक्ति की शर्तो में वेतन संरक्षण का लाभ दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

3- खनिज निगम के छटनीशुदा कर्मियों द्वारा वेतन संरक्षण का लाभ अनुमन्य कराये जाने के संबंध मे मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में रिट याचिका संख्या- 5495 (एसएस) / 2003 के0सी0मिश्रा व अन्य बनाम राज्य व अन्य योजित की गई जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 4-9-2003 के अन्तर्गत विपक्षीगण को 6 सप्ताह के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने एवं 01 सप्ताह के अन्दर याचीगण के रिजवाइडर के साथ साथ सचिव, औद्योगिक विकास हेतु यह निर्देश जारी किये कि याचीगणों के प्रार्थना पत्रो को सकारण निस्तारित किया जाये। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 4-9-2003 के अनुक्रम में शासन द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 14-10-2003 निर्गत करते हुए याचीगण के प्रार्थना पत्र आधारहीन बलहीन, नियम विरूद्ध एवं औचित्यहीन होने के कारण निरस्त कर दिया गया था।

4- पुन- रिट याचिका संख्या- 5495 (एसएस)/ 2003 के0सी0मिश्रा बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय में सुनवाई के उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13-3-2012 में खनिज विकास निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों को वेतन संरक्षण का लाभ अनुमन्य कराये जाने के संबंध में आदेश पारित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में विशेष अपील संख्या- 543/ 2012 राज्य सरकार व अन्य बनाम के0सी0 मिश्रा व अन्य योजित किया गया जो मा0 उच्च न्यायालय में अभी भी लम्बित है।

5- इसी बीच याचीगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-3-2012 को समयान्तर्गत अनुपालन न होने के दृष्टिगत अवमाननावाद संख्या- 1709/ 12 उमाकान्त तिवारी व अन्य बनाम श्री जावेद उस्मानी, मुख्य सचिव व अन्य योजित की गई। शासन द्वारा विशेष अपील में मा0 न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त न होने के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-3-12 का अनुपालन विशेष अपील में पारित अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-3-13 द्वारा वेतन सरक्षण के संबंध में रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के आधार पर पुन: वेतन संरक्ष्ण प्रदान करने का आदेश दिया गया। मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के अनुक्रम में रजिस्ट्रार के रिपोर्ट को वित्त विभाग भेजकर उनके माध्यम से 27 याचीगणों का वेतन निर्धारण कराया गया तथा शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 2013 द्वारा वित्त विभाग द्वारा किये गये वेतन निर्धारण के अनुसार वेतन निर्धारण का आदेश निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री को राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील मे पारित अंतिम निर्णय के अधीन दिया गया। निदेशक मुद्रण द्वारा तदनुसार उक्त याचीगण का वेतन निर्धारित कर वेतन सरंक्षण कर दिया गया। उक्तानुसार वेतन निर्धारण/ संरक्षण मात्र वादीगण का किया गया हैं। खनिज निगम के छटनीशुदा एंव मुद्रण विभाग में कार्यरत श्री विजय कुमार श्रीवास्तव

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं 06 अन्य कार्मिक उक्त वाद में वादी नहीं थे, फलत: उनके वेतन का संरक्षण नहीं किया गया हैं। अतएव श्री विजय कुमार श्रीवास्तव व 06 अन्य कार्मिकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वाद योजित कर उक्तानुसार वेतन सरंक्षण का लाभ दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

6- रिट याचिका संख्या- 7120 (एसएस)/ 2013 विजय कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-11-2013 के अनुक्रम में याचीगण श्री विजय कुमार श्रीवास्तव व 06 अन्य कार्मिकों द्वारा खनिज निगम के अन्य कार्मिकों को उक्तानुसार के0सी0मिश्रा व अन्य में पारित आदेश के क्रम में दिये गये वेतन संरक्षण का लाभ के समान ही स्वयं को भी वेतन संरक्षण व अन्य लाभ प्रदान करने का अपने प्रत्यावेदन दिनांक 5-12-2013 में अनुरोध किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाना है कि के0सी0मिश्रा व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-3-2012 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विशेष अपील योजित हैं, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-3-2012 में पारित आदेश के अनुक्रम में विशेष अपील में पारित अंतिम आदेश के अधीन ही उक्त वाद में अर्न्तनिहित वादीगण को वेतन सरक्षण का लाभ वित्त विभाग से निर्धारित कराकर प्रदान किया गया हैं। प्रश्नगत वाद संख्या- 7120/ 2013 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-11-2013 में वादीगण को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने का स्पष्ट आदेश नहीं है, अपितु मात्र इस संबंध में वादीगण के प्रत्यावेदन का सकारण एवं नियमानुसार निस्तारण करने का आदेश हैं। अतएव उक्त वाद संख्या- 5495(एसएस) / 2003 में पारित आदेश दिनांक 13- 3- 12 के अनुक्रम में के0सी0मिश्रा व अन्य को दिये गये वेतन संरक्षण के आधार पर वादीगण श्री विजय कुमार श्रीवास्तव व अन्य को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाना समीचीन नहीं हैं

7- यह भी स्पष्ट करना है कि उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम को बन्द किये जाने के निर्णय संबंधी शासनादेश दिनांक 11-1-2000 के अनुपालन में जिन कर्मियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं ली गयी थी, उनकी छटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कार्य की श्रेणी में आने के कारण नियमानुसार छटनी प्रतिपूर्ति के साथ समस्त वैधानिक देयताओं का भुगतान करते हुए समाप्त की गयी थी। निगम कर्मी की सेवाए उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम सेवा नियमावली के नियमों के अन्तर्गत समस्त वैधानिक देयताओं का भुगतान नियमानसार करते हुए समाप्त की गयी थी। शासन द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता के आधार पर शासनादेश दिनांक 10-7-2000 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया गया था जिसमें किसी प्रकार का वेतन संरक्षण का कोई भी प्राविधान नहीं था। उक्त कार्मिकों के नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से सेवा शर्तो का उल्लेख करते हुए वेतन संरक्षण का हित लाभ अनुमन्य न कराने का उल्लेख किया गया था जिसे उनके द्वारा तत्समय स्वीकार किया गया था।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- अतएव उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचीगण के प्रत्यावेदन दिनांक 5 दिसम्बर, 2013 को बलहीन, नियम विरूद्ध एवं औचित्यहीन होने के कारण एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

(धीरज साहू)
सचिव

संख्या 1874(1) 77-2-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित

1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ -
2- निदेशक,मुद्रण एंव लेखन सामग्री,उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- श्री विजय कुमार व06 अन्य याचीगण को निदेशक, मुद्रण एव लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद के माध्यम से।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in